

कर्मचारी मुआवजे के लिए क्लेम करना



परामर्श
प्राप्त करें

अपनी युनियन से, किसी
सेवा, या वकील से



अपने डॉक्टर से
मिलें

और वक्त कैफियती सर्टिफिकेट के
लिए निवेदन करें



क्लेम (दावा) पूरा
करें

और इसे अपने बॉस या प्रतिनिधि
को जमा कराएँ

यहाँ क्लेम फॉर्म का पता लगाएँ RTWSA.COM/MEDIA/DOCUMENTS/CLAIM-FORM.PDF

नवीनतम वर्क कैफियती (कार्य क्षमता) सर्टिफिकेट रखें

अपने सर्टिफिकेट को अपडेट करने के लिए नियमित तौर पर अपने डॉक्टर से मिलें।

किसी चीज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले परामर्श

यथोचित निवेदनों का जवाब दें

यदि आपको 'पक्का पता नहीं है कि कोई निवेदन यथोचित है, तो ई-मेल लिखकर इसके बारे में पूछें
और सलाह लें।

जैसा आपके लिए उचित हो वैसे संचार करें

यदि आपको आवश्यकता हो तो आपको दुभाषिए का अधिकार है। यदि आपको फोन पर बात करना
तनावपूर्ण लगता हो तो आप अपने क्लेम मैनेजर से ई-मेल के माध्यम से भी बात करने के लिए कह
सकते/सकती हैं, या यह कह सकते/सकती हैं कि केवल आपके प्रतिनिधि के माध्यम से संपर्क किया
जाए.. आपको यह अधिकार है कि आप अपने आप को रिकॉर्ड किए जाने से इंकार करें।

आपके पास यह अधिकार है कि आप इलाज के लिए अपने खुद के जी.पी. या डॉक्टर को दिखाएँ। अपनेनियोक्ता को मेडिकल एपॉइंटमेंट्स में भाग लेने या
अपना इलाज करने वाले डॉक्टर से बात करने की सहमति न दें। आप आकलन के लिए किसी अपरिचित डॉक्टर से मिलने के लिए कह सकते/सकती हैं परन्तु
यदि आप उनसे असहमत हैं तो आप दूसरी राय ले सकते/सकती हैं। आपको अपने बारे में कोई मेडिकल रिपोर्ट की प्रति लेने का अधिकार है।

आत्म देखभाल-को प्राथमिकता दें।

कर्मचारी मुआवजा क्लेम प्रक्रिया तनावपूर्ण होती है। सलाह-मशविरा लेकर, परिजनों और मित्रों से समर्थन लेकर, और ऐसे कार्य करके जिन्हें करने में आपको सामान्यतः
आनन्द आता हो, अपना ख्याल रखना।

सहायक सेवाएँ

नौकरी करने वाली महिलाओं का'केन्द्र

युवा कर्मचारियों की कानूनी सेवा

क्लेम की नामंजूरी करने की तैयारी

तनाव संबंधी अधिकांश क्लेमों को पहले नामंजूर कर दिया जाता है। नामंजूरी मिलने पर सलाह लें क्योंकि फैसले की
समीक्षा कराई जा सकती है।

अपने क्लेम की गति तेज़ करें

RETURN TO WORK SA के लिए यह ज़रूरी है कि वे X सप्ताहों में आपके क्लेम पर फैसला लें। यदि वे ऐसा
नहीं करते हैं तो उनके फैसले को जल्दी से जल्दी लिए जाने के लिए सलाह लें।

आपकी युनियन

ऑस्ट्रेलिया में प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक युनियन है। युनियन कर्मचारी मुआवजा क्लेम में आपकी मदद कर सकती हैं और, कई मामलों में,
आपको कर्मचारी मुआवजा वकील तक पहुँच देने ' की पेशकश करती हैं। यदि आप पहले से ही किसी युनियन के सदस्य नहीं हैं तो अपनी युनियन का